Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

राजेन्द्र मोहन पुत्र आशाराम पुत्र महलूराम जाति ब्राहण निवासी बंगोली नीचली तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

बनाम

सरोज देवी पत्नी आशाराम पुत्र महलूराम जाति ब्राहमण निवासी बंगोली नीचली तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

किस्म मुकदमाः—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.— 52/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.06.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि में अपीलांट के पिता आशाराम के नाम से खातेदारी थी, जिन्होने अपने जीवनकाल में दिनांक 03.12.2020 को जैर अपील रकबा की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की थी। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैर अपील भूमि पर अपीलांट का हित निहित है। अपीलांट जैर अपील आदेश से सीधे तौर पर व्यथीत होने एवं प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि आशाराम द्वारा स्वयं दिनांक 17.11.2015 को जैर अपील रकबा की वसीयत मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित की गई थी। जैर अपील रकबा पर उक्त वसीयत की दिनांक से मेरा ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैर अपील रकबा पर अपीलांट का कोई हित निहित नहीं है तथा ना ही अपीलांट प्रभावित एवं हितबद्व पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर निरस्त की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 02 तहसीलदार अनूपगढ़ ने ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई आपत्ति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट आशाराम का पुत्र है जिससे जैर प्रकरण भूमि पर अपीलांट के हित निहित है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय तौर पर आशाराम के वारिसान को व्यक्तिगत नोटिस दिये बिना पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को कतई नहीं थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.04.2018 को पटवारी हल्का से हुई। तब अपीलांट ने बिना कोई देरी किये अपील पेश कर दी। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करें। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या [illegible] कथन [illegible] हस्तगत अपील वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल के विरू[illegible] है। वसीयत सबंधी प्रकरण की कार्यवाही जब [illegible] तहसीलदार [illegible] है तब उक्त कार्यवाही मे पटवारी, गिरदावर मौके पर जाकर [illegible] लाते है उसके बाद पक्षकारो व हर आम व खास के खिलाफ सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रो मे प्रकाशन की जाती है। जिसमे आपति दिवस का निर्धारण किया जाता है। उक्त वसीयत मे सार्वजनिक सूचना प्रकाशन होने पर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपित्त दर्ज करवानी चाहिए थी। किन्तु अपीलान्ट ने ऐसी कोई आपति दर्ज नही करवायी। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसे कोई तथ्य अकिंत नही करवाये है जिन पर विश्वास किया जा सके की अपीलान्ट को उक्त निर्णय का ज्ञान नही था। जबकि मियाद अधिनियम मे मियाद के बिन्दु पर स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि एक एक दिन की देरी को स्पष्ट करने की जिम्मेवारी अपीलान्ट की होगी। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 तहसीलदार अनूपगढ़ ने ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई आपत्ति पेश की।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता आशाराम के नाम खातेदारी था। आशाराम की मृत्यु दिनांक 11.01.2018 के उपरांत अपीलांट उसका विधिक वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को ना तो व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया गया है तथा ना ही सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोषजनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है इसलिए हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता आशाराम के नाम से चक 8 एसकेएम (बी) तहसील घडसाना का मुरब्बा न. 24 पत्थर न. 68/52 के किला नम्बर 1 ता 25 का 6.199 है0 कमाण्ड मय खाला रकबा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। आशाराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 03.12.2010 को जैर अपील रकबा की एक वसीयत बरोबरू गवाहान अपीलांट के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। उक्त रकबा वसीयत की दिनांक से अपीलांट के अधिकार एवं अधिपत्य में चला आ रहा है। अपीलांट के पिता आशाराम की मृत्यु दिनांक 11.01.2018 को हो चुकी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जैर अपील रकबा बाबत आशाराम की तथाकथित वसीयत दिनांक 17.11.2015 अपने पक्ष में तैयार करवा ली । उक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.08.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट व मृतक आशाराम के अन्य वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 17.11.2015 की बताई गई है जबकि तथाकथित वसीयत अन्तिम वसीयत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व उक्त तथाकथित वसीयत की सत्यता की जांच भी नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर अपील भूमि आशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उनके कब्जा काश्त मे चली आ रही थी। आशाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी अपनी इच्छा से सोच समझकर अपनी खुशी से रूबरू गवाहान के जैर अपील भूमि की वसीयत अपनी पत्नी अर्थात मुझ रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 17.11.2015 को कार्यालय उप महानिबंधक देहरा (हिमाचल प्रदेश) के कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दी थी। उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

समस्त कार्यवाही विधिवत तरीके से पूर्ण करते हुए सभी पक्षों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया परन्तु किसी की आपत्ति नहीं होने पर ही नियमानुसार नामांतरण स्वीकृत किया गया है। अपील में वर्णित वसीयत के संबंध में उक्त प्रकरण के अपीलांट द्वारा सी.जे.एस.डी. देहरा जिला कांगड़ा सिविल न्यायालय में वाद दायर किया हुआ हैं तथा इंतकाल के संबंध में अनुतोष बाबत भी सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 तहसीलदार अनूपगढ़ ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील आदेश नियमानुसार ही पारित किया गया है। अपीलांट को आपत्तियां पेश करने हेतु समय दिया गया था परन्तु अपीलांट ने निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति पेश नहीं की। जैर अपील आदेश विधिवत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। स्व. श्री आशाराम द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 17.11.2015 को जैर अपील रकबा चक 8 एसकेएम (बी) तहसील घडसाना का मुरब्बा न. 24 पत्थर न. 68/52 के किला नम्बर 1 ता 25 का 6.199 है0 कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि की वसीयत निष्पादित की गई जो उपंजीयक देहरा (हिमाचल प्रदेश) द्वारा पंजीबद्व की गई है। उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.02.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आशाराम के विधिक वारिसान को व्यक्तिगत नोटिस ना देते हुए सीधे ही दैनिक भास्कर सामाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत दिनांक 17.11.2015 के आधार पर आशाराम के प्रथम श्रेणी के जायज वारिसान को बिना सुने तथा वसीयत की सत्यता की जांच किये बिना ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 169 दिनांक 12.03.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि श्री आशाराम के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner